राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हीरालाल बनाम नाथूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि मालीराम व अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर हाल खसरा नं. 773 रकबा 0.12, 774 रकबा 0.12, 775 रकबा 0.26, 789 रकबा 0.11 कुल किता-4 रकबा 0.61 है. वाकै ग्राम लेटकाबास, तह.शाहपुरा, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में भुरा पुत्र मंगला जाति जाट, हिस्सा 1/6, लक्ष्मण पुत्र मंगला जाति जाट हिस्सा 1/6 भैरू पुत्र मंगला जाति जाट हिस्सा 1/6 की बजाय वादी सं0-1 लगायत 8 को 1/4 हिस्सा तथा वादी सं0-9 को 1/8 हिस्सा तथा वादी सं0-10 लगायत 16 को प्रत्येक को 1/56 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं0-13 लगायत 19 को प्रत्येक को 1/392 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं हाल आराजी खसरा नं0-776/1459 रकबा 0.38 है० वाकै ग्राम लेटकाबास, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर के राजस्वरिकार्ड में भुरा पुत्र मंगला हिस्सा 1/5 लक्ष्मण पुत्र मंगला हिस्सा 1/5 भैरू पुत्र मंगला हिस्सा 1/5 के बजाय वादी सं0-1 लगायत 8 को 3/10 हिस्सा तथा वादी सं0-9 को 3/20 हिस्सा तथा वादी सं0-10 लगायत 16 को 3/140 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं0-13 लगायत 19 को 3/980 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की और अधिवक्ता उपस्थित आये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/09/2022 पारित करते हुये वादिया संख्या 13 सूरजी देवी जो की मृत है की और से वाद पत्र पेश किया जाना धारित करते हुये वाद अबेट होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हीरालाल बनाम नाथूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | इससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह उचित प्रतीत होता है | अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तर्कों के आधार पर भी उनके कथन विधिसम्मत इसलिये नही माने जा सकते, क्यूकी मृत्तक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुती की निश्चित समयावधि विधि में निहित है किन्तु अपीलार्थी/वादी द्वारा विधि के प्रावधानों की अनुपालना ही नही की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16/09/2022 उचित प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर